

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2019/

7845

दिनांक : 17.10.19

सेवा में,

सचिव/प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक/प्राचार्य,
समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय
क्षेत्रान्तर्गत, वाराणसी।

विषय- नियमानुसार जनशक्ति निर्धारण कर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं०-798/सत्तर-2-2019-2016(143)/2019, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, दिनांक 15.10.2019 एवं पत्र सं०-801/सत्तर-2-2019-16(143)/2019, दिनांक 16.10.2019, के क्रम में क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी वाराणसी के पत्र संख०-क्षे०का०वा०/1459/65/2019-20, दिनांक 17.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि उ०प्र० शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-2, सं०-754/सत्तर-2-2019-16(143)/2019, लखनऊ, दिनांक 27.09.2019 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सं०-क्षे०का०वा०/1411-15/2019-20, दिनांक 04.10.2019 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन हेतु प्रचलित नियमों/UGC/मानकों के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर जनशक्ति निर्धारण करने एवं रिक्त पदों की सूचना हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुये एक सप्ताह के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आज दिनांक 17.10.2019 तक आप द्वारा कोई सूचना अपने जनपद की नोडल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया गया है। सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्रांक सं०-801/सत्तर-2-2019-16(143)/2019, दिनांक 16.10.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण गम्भीर नाराजगी व्यक्त की गयी है। यह स्थित अत्यन्त खेद जनक है।

अतः शिक्षकों की भर्ती हेतु अधियाचन अपने-अपने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक दशा में आज दिनांक 17.10.2019 अपरान्ह तक अपने जनपद के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सूनिश्चित करें। सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में यदि शासन द्वारा कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप का होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव उच्चशिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय सम्बन्धित जनपद (जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज)।
4. शिक्षा निदेशक(उ०शि०) उ०प्र० प्रयागराज।
5. क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव